न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू-अर्जन अधिकारी रायगढ़ (छ.ग.)

भू-अर्जन प्र.क्र. 49/अ-82/2014-15
ग्राम सम्बलपुरी प.ह.नं. 31
तहसील रायगढ़ जिला रायगढ़

महाप्रबंधक,एनटीपीसी तलाईपाली

कोल माईनिंग परियोजना घरघोड़ा जिला रायगढ़ (छ.ग.)--- आवेदक.

विरूध्द

1. संतोष कुमार पकाऊ कंवर
2. कलिन्दर पिता पकाऊ कंवर
3. दुबराज पिता पकाऊ कंवर
4. मनोज मुकेश राजकुमारी रामकुमारी पुष्पा, छोटेदाई ना.बा. सयती ना.बा. देवती पिता नानकुन वृन्दावती पति नानकुन पा.मा.वून्दावती पति नानकुन जाति कंवर
5. सोनकुंवर पि. सुनाऊ कंवर
6. परक्षीत कार्तिक पि. ललित, भोजमति बेवा ललित जाति कंवर
7. ना.बा. मानिक पि. लालचंद पालक पि. लालचंद जाति सिंधी
8. संघौरी पति बैगनदास जाति सिंधी
9. रामचरण, रामसाय, सौहोद्रा दुति पि. धोबाई बुढ़ाबाई पति धोबाई जाति कंवर
10. एतवारीन पति मोहरसिंह ना.बा. बसन्ती ना.बा. बुदी पि. मोहरसिंह ना.बा. कलपराम ना.बा. जनकराम ना.बा.मालती, जानकी पिता रत्थूराम, पा.मा. रामवती पति रत्थूराम धनीसिंह, सुनाराम, सोनसाय पिता हटाऊ दुकालू पिता नान्हू सुनाऊ पि. सुना, रामवती, पति रत्थूराम जाति कंवर
11. जनकराम, कलपराम पिता रत्थूराम, जानकी, मालती पिता रत्थूराम रामवती बेवा रत्थूराम सुनाराम सोनसाय पिता हटाऊ जाति कंवर
12. अम्बिका, बासुदेव पिता बासुदेव श्यामजी जाति गुजराती
13. विक्रम पिता घासी जाति रावत
14. सुमित्रा पति नरेश अग्रवाल--- अनावेदकगण

अवार्ड आदेश

(दिनांक 13-02-2017)

यह प्रकरण महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना घरघोड़ा जिला रायगढ़ के पत्र क्र. REF No 5073/TLCMP/pvt/06/08/15 **सम्बलपुरी** दिनांक 12.8.2015 के अनुसार **ग्राम-सम्बलपुरी** प.ह.नं. 31 रा.नि.मं. व तह.-**रायगढ़** जिला **रायगढ़** के निजी भूमि कुल ख.नं. 22 कुल रकबा 3.983 हे. का रेल लाईन निर्माण के लिये अधिग्रहण हेतु भू-अर्जन प्रस्ताव विहित प्रपत्र में प्राप्त होने पर प्रारंभ किया गया।

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

(1) उपरोक्त भू-अर्जन प्रस्ताव के संदर्भ में पुनर्वास योजना तैयार कर महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माइनिंग परियोजना द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रस्तावित पुनर्वास योजना का अनुमोदन प्रचलित नियमों के तारतम्य में आयुक्त, बिलासपुर संभाग बिलासपुर के पत्र क्रमांक 3062/राजस्व/ भू-अर्जन/2015 बिलासपुर दिनांक 25.7.2015 अनुसार प्रस्तावित पुनर्वास योजना में निम्नांकित शर्त समाहित कर पुनर्वास योजना का अनुमोदन किया गया है :-

1. कलेक्टर द्वारा मुआवजा का निर्धारण भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत किया जावेगा।
2. भासन द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जावेगा।
3. भूमि अर्जन के बाद स्थल पर जिस कृषक की इतनी कम भूमि शेष बचती हो कि उस पर लाभदायक कृषि संभव न हो, तो शेष भूमि का भी अधिग्रहण किया जावेगा।
4. पर्यावरण संतुलन को बनाये रखने के लिये वृक्षारोपण किया जावेगा। वृक्षारोपण हेतु कार्य योजना दो माह के भीतर तैयार किया जावे, ताकि आगामी बरसात के पूर्व वृक्षारोपण का कार्य किया जा सके।
5. पुनर्वास पैकेज एवं प्रतिकर के पूर्ण भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
6. मकान विस्थापितों के लिऐ वैकल्पिक व्यवस्था की जावे।
7. कलेक्टर रायगढ़ भू-अर्जन कार्य का समुचित पर्यवेक्षण करेंगे, एवं प्रत्येक तीन माह में अपना प्रगति प्रतिवेदन राज्य शासन को एवं इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।
8. एनटीपीसी लिमिटेड तलाईपाली तहसील घरघोड़ा जिला रायगढ़ कोल माईस ताप विद्युत परियोजना के कियान्वयन एजेंसी द्वारा कराये गये कार्य गुणवत्ता के अनुसार हो, यह सुनिश्चित किया जावे।
9. प्रभावित परिवारों को रोजगार सुनिश्चित करने की दृश्टि से आजिविका ट्रेड में प्रशिक्षण व्यवस्था किया जावेगा। पश्चात सफल प्रशिक्षणार्थियों को प्राथमिकता में प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से रोजगार/ जीविका उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा।
10. जिले के निःशक्तजनों के लिए आजीविका प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार हेतु विशेष प्रयास करना होगा।
11. नवीन भू-अर्जन अधिनियम 2013 के दूसरी अनुसूची धारा 31(1) 38(1) और धारा 105 (3) के प्रावधानों का भी पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा।

(2) उपरोक्त अनुक्रम में महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना से ग्राम विजयपुरके प्रस्तावित निम्नांकित भूमि के अधिग्रहण किये जाने हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के संदर्भ में छ.ग.भासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में अधिग्रहण कार्यवाही हेतु प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम की धारा-11(1) के अधीन अधिसूचना का प्रकाशन निम्नानुसार कराया गया :-

भू-अर्जन अधिकारी
(अनुविभागीय अधिकारी (रा.))
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण :-

खसरा नम्बर	रकबा (हे.में)	खसरा नम्बर	रकबा (हे.में)	खसरा नम्बर	रकबा (हे.में)	खसरा नम्बर	रकबा (हे.में)
217/1	0.049	217/6	0.040	220	0.016	227/1	0.180
217/4	0.099	217/5	0.040	213/5	0.113	227/2	0.506
221	0.174	217/8	0.064	213/6	0.048	225/2 क	0.012
217/2	0.040	218	0.664	222	0.652	225/2 ख	0.202
217/7	0.040	213/3	0.012	223	0.397	217/3	0.040
219	0.445	226	0.150				
योग- कुल ख.नं. 22 कुल रकबा 3.983 हे.							

अधिनियम की धारा-11 (1) के प्रकाशन का विवरण निम्नानुसार है:-

1. छत्तीसगढ़ राजपत्र में दिनांक 02.10.2015 भाग-1 पृ.क्र. 1525
2. स्थानीय समाचार पत्र 1. नवभारत में दिनांक. 12.10.2015

   2. कुशाग्रता में दिनाक 14.10.2015
3. ग्राम- ग्राम में मुनादी के माध्यम से दिनांक 08.11.2015 किया गया है।

(3) प्रकरण में धारा-11(1) के अधिसूचना प्रकाशन पश्चात् आरती चौहान ना.बा. मुनिष, ना.बा. तनिषा, श्रीमती अमृता, जयश्री, देवेश चौहान, निरज चौहान, सुरभी चौहान, आरती चौहान, राजेश चौहान, ना.बा. लावना चौहान एवं अंकिता चौहान के द्वारा लिखित में आपत्ति प्रस्तुत की गई।

1. भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा 1 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना विधिक प्रावधनो के विपरीत प्रकाशित कराई गई है ।
2. प्रारंभिक अधिसूचना में एक ओर प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं उल्लेखित है जबकी दूसरी ओर प्रभावित परिवार उल्लेखित किया गया है ।
3. (अ)नवीन भूमि अर्जन पुनर्वासन ओर पुनव्यर्वस्थापन अधिनियम 2013 के अध्याय 2 एवं अध्याय 3 के समस्त उपबन्धों में छूट दर्शाया गया है जोकि त्रुटीपूर्ण है।

   (ब)नवीन भूमि अर्जन पुनर्वासन ओर पुनव्यर्वस्थापन अधिनियम 2013 के धारा 30 (3) में धारा 26 के अधीन बाजार मूल्य के अतिरिक्त, कलेक्टर प्रत्येक मामले में सामाजिक समाघात का निर्धारण अध्यन की अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से ही प्रारंभ होने वाली और कलेक्टर के निर्णय की तारीख तक या भूमि के कब्जा लेने के तारीख तक इसमें से जो भी पूर्वतर हो की अवधि के लिए 12: प्रति वर्ष की दर पर संगणित रकम अधिनिर्णित करेगा ।
4. खसरे के बटांकन होने के पश्चात संव्यवहारकर्ता को यदि पुनः उक्त जमीन संव्यवहार या अन्य कारणो से वापस प्राप्त होता है तो उक्त खसरा का मुल स्वरूप से बिना बन्दोबस्त की कार्यवाही किए बिना नही आता है।
5. आपत्तिकर्ता के द्वारा उक्त भूमि का विक्रय पत्र का निष्पादन नवीन भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 की उप धारा के प्रांरभिक अधिसूचना के प्रकाशन के पूर्व किया गया है ऐसी स्थिति में उक्त

भूमि का नवीन भू-अर्जन अधिनियम 2013 के तहत मुआवजा एवं पुनर्वास का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है।

(3) प्रकरण में अधिनियम की धारा-11 (1) के प्रस्तुत आपत्ति के संबंध में आवेदक निकाय एवं तहसीलदार रायगढ़ से जांच प्रतिवेदन मय पंचनामा प्राप्त कर आपत्ति का निराकरण निम्नानुसार किया गया :-

1. अधिनियम की धारा-11 (1) के प्रकाशन विधिवत कराया गया है।
2. प्रारंभिक अधिसूचना स्थानीय समाचार पत्र नवभारत में दि. 12.10.15 एवं कुशाग्रता में दि.14.10.15 द्वारा प्रकाशित कराई गई है। तथा वर्तमान ग्राम सम्बलपुरी में एनटीपीसी तलाईपाली रेल परियोजना द्वारा किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नही है।
3. (अ) छ.ग.शासन के असाधारण राजपत्र की अधिसूचना दिनांक 02.03.2015 के क्रमांक एफ.4-28/सात-1/2014 के अनुसार औद्योगीक कौरीडोर को उक्त नवीन भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय 2 एवं अध्याय 3 के समस्त प्रावधानों से छूट प्रदान की गई है।

   (ब) छ.ग.शासन द्वारा अधिनिर्णित की गई संगणित रकम नवीन भूमि अर्जन पुनर्वासन ओर पुनव्यवस्थापन अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रारंभीक अधिसूचना की तिथी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर पर किया जावेगा।
4. नवीन भूमि अर्जन, पुनर्वासिन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रारंभीक अधिसूचना का प्रकाशन वर्तमान अद्यतन राजस्व अभिलेख के अनुसार किया गया है।
5. नवीन भूमि अर्जन, पुनर्वासिन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 के अनुसार कमिश्नर बिलासपुर द्वारा पुनर्वासिन और पुनव्यवस्थापन निती अनुमोदित की गई है, जिसके तहत अर्जित भूमि का मुआवजा एवं पुनर्वास का लाभ अद्यतन राजस्व अभिलेख के अनुसार पात्र प्रभावितो को दिया जायेगा ।

(4) अतएव प्रकरण में अधिनियम की धारा-19 की घोषणा के प्रकाशन की कार्यवाही निम्नानुसार कराया गया :-

1. छ.ग. राजपत्र में दिनांक 03.06.2016 को भाग-1 पृ.क्र. 1003,1004
2. स्थानीय समाचार पत्र 1. केला प्रवाह में दिनाक. 12.05.2016

   2. पत्रिका में दिनाक. 12.05.2016
3. स्थानीय तौर पर ग्राम सम्बलपुरी में मुनादी के माध्यम से दि 24.05.16 को किया गया।

प्रकरण में धारा 19 की घोषणा के प्रकाशन उपरान्त कोई भी दावा/आपत्ति प्राप्त नही हुआ।

(5) प्रकरण में अधिनियम की धारा-21 की सूचना दिनांक 20.5.2016 को जारी कर भू-स्वामियों को सुनवाई हेतु दिनांक 27.6.2016 को आहूत किया गया। कुछ भू-स्वामिमियों के निवेदन पर धारा 21 के अंतर्गत सुनवाई हेतु उचित अवसर देते हुए दावा/आपत्ति प्रस्तुत करने की तारीख 30.7.2016 तक बढ़ाई गई। तथा

प्राप्त दावा/आपत्तियों के संबंध में तहसीलदार, रायगढ़ एवं आवेदक निकाय से संयुक्त जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। आपत्तिवार निराकरण निम्नानुसार है :-

(5) (i) प्रकरण में आपत्तिकर्ता श्रीमती सुमित्रा अग्रवाल पति नरेश कुमार निवासी गौरीशंकर मंदिर चौक, रायगढ़ द्वारा आपत्ति की गई की उनके हक अधिकार की भूमि ख0नं0 225/2 ख अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है इस भूमि का उपयुक्त और उचित मुआवजा प्रदान किये जाने पर उक्त अधिग्रहण में कोई आपत्ति नही है।

तहसीलदार रायगढ एवं हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ग्रमा संबलपुरी प0ह0नं0 31 के अंतर्गत रेल्वे लाईन में प्रभावित भूमि के मुआवजा राशि की गणना वर्ष 2015-16 के गाईड लाईन /तीन वर्षो के औसत बिक्री छॉट /आदर्श पुनर्वास नीति की दर में से निर्धारित अधिकतम मूल्य अनुसार भूमि अर्जन, पुर्नवास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियाम 2013 के प्रावधानों का पालन करते हुए किया जा रहा है।

(ii) आपत्तिकर्ता श्री बोधराम राठिया पिता संतोष राठिया द्वारा आपत्ति कि गई है कि खातेदार संतोष पिता पकाउ कंवर उनके पिता जी हैं, जिनका निधन हो गया है तथा मैं उनके विधि वारिश हूं। उनके हक अधिकार की भूमि खसरा नं. 217/1, 217/4 एवं 221 के नोटिस में उल्लेखित भूमि कम है, जिसे भी शामिल कर भूमि का मुआवजा प्रदान किया जावे। तथा उक्त भूमि नाप किया जावे।

तहसीलदार रायगढ़ एवं हल्का पटवारी के जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम संबलपुरी प0ह0नं0 31 रा0नि0म0 रायगढ़ 01 तह व जिला रायगढ़ के श्री बोधराम राठिया पिता संतोष राठिया ख0 नं0 217/1, 217/4, 221 का मौका जांच पंचनामा एवं पटवारी प्रतिवेदन प्राप्त, मौके पर खसरा नं 217/1 से रकबा 0.154 हे., खसरा नं 217/4 से रकबा 0.146 हे. एवं खसरा नं 221 से रकबा 0.243 हे. भूमि प्रभावित हो रही है।

(iii)-1 यह कि आपत्तिकर्ता श्री मानिक मोटवानी एवं पारस मोटवानी दोनों के पिता स्व0 लालचंद मोटवानी दोनों निवासी सिंधी कालोनी चक्रधरनगर रायगढ़ को उक्त भूमि के लिए आज तक न तो कोई विधिवत नोटिस प्राप्त हुआ है न ही कोई परिवारिक जानकारी मांगी गई है न ही मेरे समक्ष उसका सर्वे किया गया है जो कि घोर आपत्तिजनक है और मौलिक न्यायिक अधिकारों का हनन है तथा कृपया नाम भी सुधार कर सही सही लिखा एवं पढ़ा जावे। यह भी उल्लेखनीय है कि भूमि कि क्रय करते समय आपत्तिकर्ता नाबालिक था अब बालिक हो चुका है। कृपया इसे भी अपने अभिलेखों में सुधार करने का कष्ट करें।

(iii)-2. विधि विशेषज्ञों से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 17.10.2015 को धारा 11(1) भू-अर्जन अधिनियम के तहत प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित कराया जाता है एवं समुचित सरकार के बेवसाईड में प्रकाशन न करा कर छल पूर्वक एन.टी.पी.सी. में कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा रायगढ़ के बेवसाईड में दिनांक 13.05.2016 को कराया जाता है तथा उसी दिनांक 13.05.2016 को धारा 19 का भी बेवसाईड में प्रकाशन कराया जाता है जबकी भू-अर्जन की प्रक्रिया में समयावधि का गणना अंतिम प्रकाशन दिनांक को माना जाना प्रावधानित है तथा धारा 11(1) के प्रकाशन पश्चात 60 दिन के समयावधि आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु प्रावधनित है, जिसका भी पालन नहीं किया गया है।

भू-अर्जन अधिकारी
विशेष अधिकारी (रा)
रायगढ़

(iii)-3. यह कि भारत सरकार के द्वारा दिनांक 31.12.2014 को जारी अधिसूचना में जिन परियोजना में समुचित सरकार का भूमि स्वामी निरस्तर बना हो उन परियोजनाओं पर भू-अर्जन के अध्याय अधिनियम 2 व 3 का छुट प्रदान किया गया है। जिसके तारतम्य में छ.ग. शासन के द्वारा 02.03.2015 की अधिसूचना जारी कर अध्याय 2 व 3 का प्रावधान लागू किया गया था, उक्त अधिसूचना की अंतिम दिनांक 31.08.2015 था, चूंकि भारत सरकार के द्वारा लाये गये अध्यादेश पूर्व में शून्य हो चुका है, जिसको आधार बना कर केवल आदेश पत्रक में उल्लेखित कर छुट के दायरे में लाया गया है, जबकी उक्त दिनांक को धारा 11 के प्रकाशन के प्रारूप, मुनादी, समाचार पत्र, राजपत्र, बेबसाईड में किसी भी रीति से प्रकाशन नहीं किया गया था, ऐसी स्थिति में छ.ग.शासन के द्वारा एवं भू-अर्जन अधिकारी के द्वारा अध्याय 2 व 3 का पालन किये बगैर अग्रिम कार्यवाही किया जाना न्याय संगत नहीं है।

(iii)-4. यह कि धारा 11 के बेबसाईड में प्रकाशन के पूर्व ही धारा 19 का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में कर दिया गया है। एक ओर धारा 11 के प्रकाशान के प्रारूप पूर्ण नहीं किया गया था वहीं दुसरी ओर धारा 19 का प्रकाशन किया जाना नवीन भू-अर्जन अधिनियम 2013के प्रावधानों के विपरित है।

(iii)- 5. प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18. 12.2015 को जारी किया गया था जिसमें भूमि अभिलेखों को अद्यतन करवाने की नियम उल्लेखित है जिसके अनुसार मृतक व्यक्तियों के नामों को लोप करना, मृतक व्यक्तियों के वारिसो का नामों को प्रवृष्टि करना, भूमि पर अधिकारों के रजिस्ट्री के समव्यपहारों जैसे- बिक्री,दान, विभाजन आदि को प्रवृष्टि करना बंधक के सभी प्रवृष्टियों को अभिलेखों प्रवृष्टि करना इत्यादी उल्लेखित है, किन्तु उक्त अधिसूचना के प्रकाशन के उपरांत आज दिनांक अद्यतन नहीं किया गया है, जो कि आपत्तिकर्ता के सवैंधानिक अधिकार का हनन है।

(iii)-6. यह कि सम्पत्ति का अधिकार विधिक अधिकार के साथ साथ मानवाधिकार भी है, जिसे अविधिक व छल पूर्वक उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।

(iii)-7. धारा 19 के पुनर्वासन व पुर्नस्थापना तथा घोषणा और सार का प्रकाशन कराया जाना प्रावधानित है किन्तु पुनर्वासन व पुर्नस्थापना सार्क का प्रकाशन आज दिनांक तक नहीं कराया गया है। जबकी भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19 (2) की उप धरा 1 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि इस उप धारा के अधिन कोई घोषणा तब तक नहीं किया जावेगा, तब तक पुनर्वासन व पुनर्व्यस्थापन का योजना का सार ऐसी घोषणा के साथ नहीं किया जाता । एतएवं त्रुटिपूर्ण प्रक्रियाओं का समावेश कर मात्र प्रबंधक एन.टी.पी.सी. द्वारा भूमि प्राप्त करना चाहता है, जो कि अवैधानिक है।

(iii)-8. एक ओर एन.टी.पी.सी. के पुनर्वास निति के कंडिका 9.6 रोजगार एवं वार्षिकी में प्रति प्रभावित एक बार 5.00 लाख दिया जावेगा या वार्षिकी पॉलिसी कीमत सूचकांक के अनुसार कम से कम 2000/-रू. प्रति माह उल्लेखित है, जबकी 02.07.2014 जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक में भू - अर्जन के मुआवजे के अतिरिक्त 30000/-रू. प्रति एकड़ अनुपातिक 20 वर्ष तक भूमि विस्थापित परिवार को दिया जावेगा। प्रत्येक 2 वर्ष में प्रति एकड़ 500/-रू.बढ़ाया जायेगा। जबकी सूचना के अधिकार के तहत चाही गयी जानकारी में जिला कार्यालय रायगढ़ के द्वारा जिला स्तरीय पुनर्वास समिति का गठन वर्ष 2013-14 में नहीं हुआ है और न ही इसं संदर्भ में सचिवालय रायपुर में दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है, बताया गया। अतः न तो पूर्व में पुनर्वास स्कीम विधिवत बनाया गया और नही धारा 16 (5) के तहत पुनर्वास प्रतिवेदन के संदर्भ में कोई सुनवाई किया गया है। चूंकि छ.ग. शासन का कृषि भूमि में निरन्तर भू-स्वामी है एवं एन.टी.पी.सी. प्रस्तावक

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़

है, ऐसी स्थिति में वर्ष 2013 भू-अर्जन अधिनियम के प्रावधानों को मनमाने ढंग से लागू कर आपत्तिकर्ता/ रजिस्टर्ड भूमि स्वामी को उसके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जो कि अनुचित है।

(iii)-9. यह कि उपरोक्त कंडिकावार बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए एवं विधिवत भू-अर्जन प्रक्रिया के अनुकुल निराकरण कर आपत्तिकर्ता को सूचना/जानकारी देने के उपरांत ही भू - अर्जन की अग्रिम कार्यवाही किया जावे ताकि भविष्य में एन.टी.पी.सी.लारा परियोजना की भांती इस परियोजना में भी भूमि पर कब्जा लेने के उपरांत प्रभावितों को अनावश्यक न्यायालयीन कार्यवाही में उलझना न पड़ें। यदि जानबुझ कर आपत्तिकर्ता के हित को ताक में रखते हुए अविधिक पूर्ण कार्यवाही की जाती है तो उसकी समस्त जवाबदारी महाप्रबंधक एन.टी.पी.सी. की होगी।

(iii)-10. यह कि धारा 19 राजपत्र में जून 2016 को प्रकाशित कराया जाता है वह भी उपरोक्तानुसार त्रुटिपूर्ण है एवं धारा 19 भू-अर्जन अधिनियम का प्रकाशन के प्रारूप पूर्ण कराये बगैर धारा 21 के नोटिस व्यक्तिशः जारी कर दिया जाता है। अतएव समस्त प्रकिया भू-अर्जन अधिनियम के तहत आदेशात्मक कार्यवाही है, जिसका पालन नहीं किया गया है। अतएवं सम्पूर्ण कार्यवाही शुन्य व अवैधानिक है।

(iii)-11. एन.टी.पी.सी. की पुनर्वास नीति सम्पूर्ण भारत में एक होती है। वर्ष 2015 में एन.टी.पी.सी. के द्वारा ग्राम -गहिलगढ़ (पं.) विद्यांचल (मध्यप्रदेश) में कृषि भूमि का रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से क्रय किया गया है एवं दिनांक 18.03.2015 को कीमत सूचकांक के अनुसार प्रभावित भूमिस्वामियों को नौकरी के एवज में 700000/-रू. (सात लाख) पैकेज दिया गया है, चूंकि एन.टी.पी.सी. के द्वारा रायगढ़ के परियोजनाओं हेतु पुनर्वास प्रतिवेदन, धारा 19 के साथ पुनर्वास का सार प्रकाशन नहीं कराया गया है। अतएव वर्तमान कीमत सूचकांक के अनुसार नौकरी के एवज में पैकेज प्राप्त करने के अधिकारी है एवं प्रति एकड़ 2500000/-(पच्चीस लाख रूपये) की दर से मुआवजा राशि का निर्धारण कर नवीन भू-अर्जन अधिनियम के तहत 4 गुना, दिया जावे चूंकी अन्य प्रान्त में (सुन्दरगढ़ ओडिसा) में एन.टी.पी.सी. के द्वारा 22.00 लाख रू. प्रति एकड़ की दर से मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है।

(iii) प्रकरण में आपत्तिकर्तागण का बिन्दु क्रमांक 3 का निम्नानुसार निराकरण किया गया है :-

(iii)-1 भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के नियमानुसार प्रारंभिक अधिसूचना प्रस्तावित भूमि के निरीक्षण के पश्चात ई-राजपत्र के रूप में समूचित सरकार (छ.ग. शासन) की वेबसाइट में 02.10.2015 को प्रकाशित कि जा चुकी है। ग्राम संबलपुरी के लिए प्रारंभिक अधिसूचना धारा 11(1) का अंतिम प्रकाशन ग्राम प्रकाशन 08.11.15 को किया गया। तत्पश्चात धारा 19 का प्रकाशन छ.ग. राजपत्र में दिनांक 03.06.2016 एवं ग्राम प्रकाशन दिनांक 24.05. 2016 को किया गया। दिनांक 20.05.2016 को जारी धारा 21 कि व्यक्तिगत सूचना तामिली उपरांत सुनवाई कि गई। नाम सुधार के संबंध में प्रकरण में संलग्न राजस्व अभिलेख/दस्तावेजों के आधार पर नियमानुसार भू-अर्जन की कार्यवाही की जा रही है।

(iii)-2 भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के नियमानुसार प्रारंभिक अधिसूचना ई-राजपत्र के रूप में समूचित सरकार (छ.ग. शासन) की वेबसाइट में 02.10.2015 को प्रकाशित कि जा चुकी है। ग्राम संबलपुरी के लिए प्रारंभिक अधिसूचना धारा11 (1) का अंतिम प्रकाशन ग्राम प्रकाशन 08.11.2015 के अनुसार 07.01.2016 तक 60 दिन की समयावधि नियत थी। उक्त समय-सीमा में प्राप्त आपत्ति विचार के लिये स्वीकार की गई है।

(iii)-3 भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अध्याय 2 व 3 का प्रावधानों से 2 मार्च 2015 को छ.ग. शासन के द्वारा असाधारण राजपत्र के माध्यम से औद्योगिक कारीडोर एवं अन्य परियोजना को छुट प्रदान की गई थी। इस अध्यादेश के अस्तित्व में रहते हुए कलेक्टर रायगढ़ द्वारा भू अर्जन प्रकरण की प्रारंभिक अधिसूचना का अनुमोदन 31.08.2015 को कर दिया गया था एवं आवेदक संस्था एनटीपीसी तिलाईपाली द्वारा भू-अर्जन की राशि भी जमा की जा चुकी थी।

(iii)-4 धारा 11 का प्रकाशन निम्नानुसार किया गया है :-

1. छ.ग. राजपत्र - 2/10/2015
2. समुचित सरकार (छ.ग.शासन) वेबसाईट (www.cg.nic.in/egazette) ई-राजपत्र- 2/10/2015
3. समाचार पत्र नवभारत में दिनांक. 12.10.2015
4. समाचार पत्र कुशाग्रता में दिनाक 14.10.2015
5. ग्राम प्रकाशन दिनांक 08/11/2015

उपरोक्त प्रकाशन को पूर्ण करने के पश्चात ही धारा 19 का प्रकाशन करवाया गया।

(iii)-5 भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18.12.2015 की अधिसूचना के अध्याय 1 में उल्लेख है कि जहां केन्द्र सरकार समुचित सरकार के रूप में भू अर्जन कर रही है वही इस अधिसूचना के प्रावधान लागू होंगे। प्रकरण में संलग्न राजस्व दस्तावेजों तथा भूमि स्वामी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर नियमानुसार आवश्यक सुधार कर भू-अर्जन की कार्यवाही की जा रही है।

(iii)-6 भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के प्रवाधनो का पालन करते हुए वर्तमान में भू-अर्जन की कार्यवाही की जा रही है।

(iii)-7 कमिश्नर बिलासपुर संभाग बिलासपुर द्वारा इस भू अर्जन प्रकरण हेतु अनुमोदित पुर्नवासन योजना के सार का प्रकाशन ग्राम में धारा 19 के प्रकाशन के साथ किया जा चुका है एवं पुर्नवासन एवं पुनः स्थापन योजना का सार अनुविभागिय अधिकारी रायगढ़ के कार्यालय में अवलोकन के लिए उपलब्ध है जो कि धारा 19 के (राजपत्र/समाचार पत्र/ ग्राम प्रकाशन/वेब साइट प्रकाशन) प्रकाशन में भी उल्लेखित किया गया है।

(iii)-8 दिनांक 02.07.2014 को जिला स्तरीय पुनर्वास समिती की बैठक के बिन्दुओ को सक्षम अधिकारी (कमिश्नर बिलासपुर) के द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के सेडयुल 2 के अनुसार निर्देशित कण्डिकाओं का पालन करते हुए 25 जुलाई 2015 को अनुमोदित किया गया है। जिला स्तरीय पुनर्वास समिती की बैठक वर्ष 2014-2015 में माननीय मंत्री एवं विधायक महोदय, कलेक्टर,सी.ई.ओ.जिला पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी, ग्राम पंचायत आदि को सूचना देकर उपस्थिती में हुई थी। सभी बिंदुओं में चर्चा होने के पश्चात 08.07.2016 को बैठक के बिंदुओं की प्रति भी सभी संबंधितों एवं पंचायत को उपलब्ध कराई गयी।

(iii)-9 प्रकरण में अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमिस्वमी को धारा 21 की सूचना जारी की गई है। तथा उन्हें सूना गया है।

भू-अर्जन अधिकारी
एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़

(iii)-10 अधिनियम की धारा 21 की सूचना में प्रभावितो को न्यूनतम एक माह से लेकर अधिकतम छः माह तक का समय दिया जाना उल्लेखित है। दिनांक 03.6.2016 को धारा 19 के राजपत्र प्रकाशन उपरांत 27.06.2016 एवं पुनः 30.07.2016 को धारा 21 की सुनवाई भू- अर्जन अधिकारी रायगढ़ के कार्यालय में पूर्ण हुई। इस प्रकार भू -अर्जन अधिनियम की धारा 19 एवं 21 के मध्य नियमानुसार एक माह से अधिक का समय देकर आपत्तियां ली गई। अतः धारा 19 के राजपत्र प्रकाशन के पूर्व धारा 21 की व्यक्तिगत नोटिस देकर प्रभावितों को एक माह से अधिक का उचित समय आपत्ति करने के लिये दिया गया। धारा 21 के नोटिस के पूर्व धारा 19 का प्रकाशन क्षेत्रिय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में, संबंधित ग्राम प्रकाशन एवं अतिरिक्त रूप से रायगढ़ की वेब साइट में भी अपलोड कर दिया गया है।

(iii)-11 भारत में राज्य शासनों की ,पुर्नवास नीति के अनुसार, प्रचलित शासकीय नियम, भूमि का गाईड लाईन /ब्रिकी छांट मूल्य आदि का पालन करते हुये पुनर्वास नीति हर जगह राज्य शासन द्वारा अनुमोदित की जाती रही है। भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के शेडयुल 1 एवं 2 के अनुसार एन.टी.पी.सी. तलाईपाली के भू-अर्जन प्रकरण हेतु पुर्नवास नीति सक्षम अधिकारी (कमिश्नर बिलासपुर) के द्वारा अनुमोदित है।

(6) उपरोक्त अधिग्रहित की जा रही कृषि भूमि के संबंध में स्थल जांच प्रतिवेदन दि. 06/01/2016 एवं पंचनामा दिनाँक 14/10/2016 के साथ आवेदक निकाय, एवं तहसीलदार रायगढ़ की ओर से राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारी द्वारा संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण कर भूमि तथा भूमि पर स्थित परिसंपत्तियों का नियमानुसार निर्धारित मापदंण्ड के अनुसार मुआवजा का गणना पत्रक-भाग-1 क,ख,ग,घ तैयार कर प्रस्तुंत किया गया है, जो आदेश का अंग है।

(7) अर्जित की जा रही कृषि भूमि का उप पंजीयक, रायगढ़ द्वारा प्राप्त केन्द्रीय मूल्याँकन बोर्ड, रायपुर द्वारा अनुमोदित गाईड-लाईन वर्ष 2015-16 की दर तथा आदर्श पुनर्वास नीति (संशोधित) की दर से तुलना में भूमि का गाईड लाईन की दर देय मुआवजा अधिक होने के फलस्वरूप गाईड-लाईन वर्ष 2015-16 की दर के अनुरूप निर्धारण किया गया है।

भूमि का प्रकार	गाईड लाईन वर्ष 2015-16 की दर प्रति हेक्टेयर में.	बिक्री छांट के अनुसार दर प्रति हेक्टेयर में.	पुर्नवास नीति के अनुसार दर प्रति एकड़
असिंचित खार	1454000	1295613	800000/-
असिंचित टिकरा	1454000	1295613	800000/-

(क) भूमि का मुआवजा : -

क्र.	अधिग्रहित भूमि का प्रकार	रकबा	गाईड लाईन के अनुसार कुल मुआवजा राशि	बिक्री छांट के दर से कुल मुआवजा राशि	पुनर्वास नीति की दर से कुल मुआवजा की राशि	देय मुआवजा
1	असिंचित खार	1.320	7984205	1710209	2609376	7984205
2	असिंचित टिकरा	2.663	16107528	3450217	5264218	16107528
			योग :-			24091733

भू-अर्जन अधिकारी
(पुनर्वासनीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

(ख) अर्जित भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का मुआवजा - निरंक

(ग) अर्जित भूमि पर स्थित वृक्षों का मुआवजा - रू. 556622/-

(घ) भूमि परिसंपत्तियों तथा वृक्षों का मुआवजा (क+ख+ग का योग) रू. 24091733/-

(8) प्रकरण मे भू-अर्जन पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के तहत पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन मुआवजा गणना प्रपत्र तैयार कराया जा चुका है। पुर्नवास प्रतिवेदन तैयार कराने एवं पुर्नवास अवार्ड पारित करने की कार्यवाही पृथक से की जा रही है।

(9) तद्नुसार महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिग परियोजना के रेल लाईन निर्माण के लिये ग्राम की अधिग्रहित निजी भूमि कुल खसरां नं. 22 कुल रकबा 3.983 हे. भूमि तथा भूमि पर स्थित वृक्षों का कुल मुआवजा राशि रूपये 24091733/- (अक्षंराक दो करोड़ चालीस लाख इक्यानब्बे हजार सात सौ तैंतीस रूपये मात्र) परिगणित होता है तथा भूमि तथा भूमि पर स्थित परिसंपति का मुआवजा गणना पत्रक-भाग-1 क,ख,ग,घ अवार्ड आदेश का अंग माना जावे। महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिग परियोजना द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार अर्जित की जा रही भूमि का मुआवजा राशि छ.ग.भासन राजस्व एवं प्रबंधन विभाग का पत्र क्रमांक एफ -4-03/सात-1/2014 रायपुर दिनांक 24.02.2014 कलेक्टर रायगढ़ के पत्र क्रमांक 1539/भू-अर्जन /2014 दिनांक 28.02.2014 एवं राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के अधिसूचना क्र. एफ-4-28/सात-1/ 2014/दिनांक 04.12.2014 तथा छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर क्रमांक एफ/-7-41/सात- 11/2016 नया रायपुर दिनांक 23.12.2016 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार गाईड -लाईन वर्ष 2015-16 की दर एवं छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति 2007 (संशोधित) दर से तुलना कर गाईड-लाईन वर्ष 2015-16 की दर अधिक होने के कारण गाइड लाइन की दर से अधिकतम देय मुआवजा की परिगणना की गई है।

तद्नुसार अवार्ड प्रतिवेदन अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

भू-अर्जन अधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ.क्रमांक 283 /भू-अर्जन/2017,
प्रतिलिपि :-

रायगढ़ दिनांक 15-02-2017

1. आयुक्त बिलासपुर संभाग बिलासपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा रायगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित। निवेदन है कि प्रकरण में पारित अवार्ड राशि रू. 24091733/- (अक्षंराक दो करोड़ चालीस लाख इक्यानब्बे हजार सात सौ तैंतीस रूपये मात्र) अवार्डधारियों को भुगतान करने हेतु प्रदाय करने का कष्ट करें।
3. महाप्रबंधक,एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिग परियोजना घरघोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आप कृपया अवार्ड की प्रति संबंधित भू-स्वामी को उपलब्ध करावें प्रकरण में समय सीमा के भीतर पुनर्वास अवार्ड की कार्यवाही पूर्ण किया जाना है। अतः पुनर्वास प्रतिवेदन गणना पत्रक के साथ शीघ्र प्रस्तुत करें।
4. उप पंजीयक, रायगढ़ को सूचनार्थ अग्रेषित।
5. तहसीलदार,रायगढ़ को अभिलेख दुरूस्ती हेतु अग्रेषित।
6. राजस्व निरीक्षक, रा.नि.मं.रायगढ़ को अभिलेख दुरूस्ती हेतु अग्रेषित।
7. पटवारी हल्का नं. 31 को अभिलेख दुरूस्ती हेतु अग्रेषित।

भू-अर्जन अधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छ.ग.)